न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी:—चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस.
मुकदमा नम्बर :—233/2017 प्रार्थना पत्र

1—श्री भैरू पिता मांगू बलाई, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
2—श्री मोती पुत्र मांगू बलाई, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
3—रतन पिता लूणा बलाई, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
4—नारायणी पुत्री लूणा बलाई, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
5—श्रीमति उदी बेवा लूणा बलाई, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
6—नंदा पिता बंशीलाल बलाई, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

——————प्रार्थीगण

वनाम

1—श्री नारायण पिता भोना गूजर, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
2—श्री नारायण पिता छोगा गूजर, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
3—श्री दीपा पिता छोगा गूजर, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
4—श्री भैरू पिता छोगा गूजर, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
—श्री लादू पिता नंगजी बलाई, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
—श्री हजारी पिता दोला बलाई, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
—श्री रायमल पिता दोला बलाई, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
—श्री भैरू पिता खेमा बलाई, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री नाथू पिता रामा बलाई, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
—श्रीमति डाली पत्नि उदा बलाई, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
—जमनी पुत्री उदा बलाई, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
—मूली पुत्री उदा बलाई, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

—————विपक्षीगण

————————

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य ::

दिनांक:—6.3.2018

वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान ...जस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम बब ...गण के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थीगण के खाते व ... काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न ...रहते हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के ... पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी ... जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 26.5.2017 को पंजीबद्व किया जाकर जरिये ...न विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 से 12 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। ... शामिल पत्रावली किये गये। किन्तु विपक्षीगण संख्या 1 से 12 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं ...के कारण दिनांक 26.2.2018 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया। ...न प्रार्थीगण ने विपक्षी संख्या 13 की तलवी बावत प्रोसेस सम्मन पेश किये। विपक्षी संख्या 13 के ...न बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षी संख्या 13 बावजूद सूचना के ...थत नहीं होने के कारण दिनांक 6.3.2018 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित ... गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

वकील प्रार्थीगण ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीगण की एक तरफा बहस सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थीगण को अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में फल रहने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत कार किया जाकर ग्राम रामपुरिया पटवार हल्का रामपुरिया, भू–अभिलेख निरीक्षक पुर तहसील व ला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 600 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, 601 रकबा 2 बीघा 12 वा, 640 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, जिसके बाद विभाजन नये बटा नम्बर 600/1, 600/2, 600/3, /4, एवं 601/1, 601/2, 601/3, 601/4, एवं 640/1, 640/2, 640/3 कुल किता 3 रकबा घा भूमि की सीमा की पुख्ता जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। रगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, पुर को 800/–रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर त्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर रान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, ड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(चिन्मयी गोपाल)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 6.3.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner